

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
लखनऊ**

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1371/2026

रत्नेश कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रधान सचिव गृह, लखनऊ

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: कैलाश नाथ मिश्रा

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार,

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष के मामले में यह आरोप लगाया गया है कि 12.01.2026 को, सूचनाकर्ता जब गोंडा ज़िले के खोडारे पुलिस स्टेशन के तहत पी.आर.वी. -5120 पर ड्राइवर एच.जी. राम बहल मौर्य के साथ ड्यूटी पर तैनात था, तो उसे सुबह लगभग 8:00 बजे रत्नेश से फ़ोन पर एक सूचना मिली। उक्त सूचना मिलने पर, सूचनाकर्ता अपने मोटरसाइकिल ड्राइवर के साथ उस सूचना की पुष्टि करने के लिए रत्नेश के घर गया। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि घटनास्थल पर पहुँचने में कथित देरी के कारण रत्नेश उत्तेजित हो गया और उसने शिकायतकर्ता को गालियाँ देना शुरू कर दिया; साथ ही, उसने शिकायतकर्ता के गले में मफलर लपेटकर उसका गला घोटने का प्रयास किया, जबकि उसके भाई कौशल कुमार (आवेदक) ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के हाथ पकड़ लिए। हालाँकि, शिकायतकर्ता को एच.जी. राम बहल मौर्य ने बचा लिया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने भारसाधक अधिकारी को सूचित किया, जो पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे, लेकिन तब तक आरोपी व्यक्ति घटनास्थल से फ़रार हो चुके थे।

आवेदक के अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि, यद्यपि शिकायतकर्ता की कथित चोटों की मेडिकल जांच स्थानीय सी.एच.सी. में की गई थी और घायल के शरीर पर तीन चोटें पाई गई थीं, फिर भी ये सभी चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि एफ.आई.आर. में अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई कहानी चोट रिपोर्ट से गलत साबित होती है; ऐसा इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट में चोटों का कारण किसी कठोर और भोथरे (कुंद) हथियार को बताया गया है, जो कि मफलर से गला घोटने के अभियोजन पक्ष के आरोप से मेल नहीं खाता। साथ ही, यह तर्क भी दिया गया है कि चोट रिपोर्ट में न तो मेडिकल जांच की तारीख और समय का उल्लेख किया गया है, और न ही कथित चोटों के पुराने होने की अवधि का।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता एक पुलिस कांस्टेबल है और अपने प्रभाव के चलते उसने जांच अधिकारी से केस डायरी में ऐसी चोट रिपोर्ट शामिल करवा दी है। उक्त चोट रिपोर्ट एक मनगढ़ंत दस्तावेज़ है, जिसके आधार पर आवेदक पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया है कि यद्यपि आवेदक पर *मफ़लर* से गला घोटने का आरोप लगाया गया है, तथापि चोट रिपोर्ट और डॉक्टर का बयान, घायल व्यक्ति के बयान से मेल नहीं खाते हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 22.01.2026 से जेल में बंद है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया है कि सह-अभियुक्त कौशल कुमार को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या 1275/2026 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2026 के माध्यम से ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने सह-अभियुक्त के आदेश के साथ समानता की मांग की है।

इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया है कि जेल से रिहा होने के बाद आवेदक के भाग जाने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया, किंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

विरोधी पक्षों की दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है; आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; जिस तरीके से चोट रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें घायल व्यक्ति की मेडिकल जांच की तारीख और समय, या चोटों की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है; और इस तथ्य को देखते हुए कि सह-आरोपी कौशल कुमार को जमानत पर रिहा किया जा चुका है, जबकि आवेदक 22.01.2026 से जेल में बंद है, यह न्यायालय इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता है।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक **रत्नेश कुमार**, जो मु0अ0/एफआईआर संख्या 10/2026 में शामिल हैं, जमानत संख्या 1371/2026 धारा 109(1), 352 और 132 भा0न्या0सं0 के तहत, पुलिस थाना खोडारे, जिला-गोंडा, को उपरोक्त मामले में, संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक निजी मुचलका और दो जमानतें प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होगा।

कोई भी अन्य शर्त (शर्तें), जिसे विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे, भी लगाई जा सकती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान ज़मानत अर्जी तक ही सीमित हैं, और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

17 मार्च, 2026

आर.सी.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।